

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—06/अ0-03-19/2023

पटना, दिनांक—

श्रीमती सुजाता प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-09.05.2025 से 21.05.2025 तक कुल 13 (तेरह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती प्रसाद के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (185-13=172) (एक सौ बहत्तर) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/अ0-03-19/2023 29

/पटना, दिनांक— 05/01/2026

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015 /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी(स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती सुजाता प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।